न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2016

1 पन्ना पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी खगा का बास वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चन्दा उर्फ चन्द्रावली पत्नी स्वा. रामजीलाल पुत्री झाबरमल जाति जाट निवासी हाल भडुन्दा छोटा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2 ईश्वर सिंह पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी खगा का बास वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
3 श्रीमती झिमकोरी पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी खगा का बास वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 लीलाधर पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुन्झुनू।
5 महेन्द्र पुत्र रामकरण
6 सन्दीप पुत्र रामकरण
7 बुद्धराम पुत्र झाबरराम
8 दयाराम पुत्र झाबरराम
9 शीशराम पुत्र झाबरराम
10 रमेश पुत्र झाबरराम
11 रघुवीर पुत्र झाबरराम
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बउनवानी मुकदमा चन्दा उर्फ चन्द्रावली बनाम पन्ना वगै. दावा बाबत घोषणार्थ एवं बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2016
मु.नं. 179/2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा 179/2007 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद घोषणात्मक, बंटवारा, स्थाइ निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 56, 57, 58, 59, 60, 61, 204 वाके ग्रम खांगा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में गत तारीख पेशी दिनांक 28.03.2016 नियत थी व दिनांक 28.03.2016 को आगामी तारीख पेशी 26.06.2016 नियत कर दी थी व अपीलान्ट के दिनांक 07.04.2016 को समस्त आर्डरशीट की नकल चाही तो अपीलान्ट को दिनांक 07.04.2016 को नकल मिली तो उक्त नकल आर्डरशीट में दिनांक 07.04.2016 तक 28.03.2016 के बाद की कोई आर्डरशीट नहीं थी व विचारण न्यायालय ने सारी कार्यवाही फर्जी व साजसी व गलत रूप से फायदा प्राप्त कर वादी के हक में निर्णय पारित कर गलती की है। विचारण न्यायालय की मिसल पर शीघ्र सुनवाई की कोई दरख्वास्त दिनांक 26.04.2016 तक नकल लेने के रोज तक नहीं थी क्योंकि अपीलान्ट ने शीघ्र सुनवाई की दरख्वास्त की नकल थी मांगी थी व अपीलान्ट को कोई नोटिस शीघ्र सुनवाई का विचारण न्यायालय से जारी नहीं किया गया। क्योंकि अपीलांट ने उक्त नोटिस मय तामील रिपोर्ट की नकल मांगी थी परन्तु पत्रावली पर ना होने से उक्त नकले नही दी जा सकी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर पेश अपीलान्ट के जवाब दावा पर कोई गोर नहीं किया व ना जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात कायम की व ना ही कोई शहादत व ना ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया। इस तरह से विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों पर कोई गौर ना कर मनमाने रूप से वादी का वाद डिक्री कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने राजीनामा दिनांक 12.04.2016 को तस्दीक किया है परन्तु इस तरफ गौर नहीं किया कि राजीनामा पेश करने वालों की शनाख्तगी किसने की है इस तरफ गोर ना कर वाद वादीगण डिक्री कर दिया। पत्रावली पर वादी ने एक आवेदन आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश किया था व पत्रावली वास्ते जवाब उक्त दरख्वास्त हेतु नियत थी। परन्तु इस गोर नही किया गया। पत्रावली में जवाब दावा प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 व 11 के जवाब में थी व विचारण न्यायालय ने उनका जवाब भी बंद नहीं किया व बिना उनको सुने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। वादीगण ने अपने दावे में कोई बंटवारा होना नहीं बताया था व प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया था। पत्रावली पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस ने अपने जवाब में यह एतराज किया था कि जमीन जैर बहस अपीलान्टस के पिता गोरू की खातेदारी की थी व उक्त गोरूराम का देहान्त होने पर ना.स. 21 भरा गया था व उक्त नामान्तरकरण में पटवारी हल्का ने गोरूराम का अकेला वारिस पन्ना अपीलान्ट को मान कर के नामान्तरकरण भरा था व तत्कालीन गिरदावर हल्का ने जांच कर नामान्तरकरण को सही माना था परन्तु ग्राम पंचायत ने मनमाने रूप से झाबर का नाम दर्ज कर दिया व इसका पता लगने पर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण के खिलाफ अपील पेश की व उक्त अपील में रेस्पोडेन्टस फरीक थे व न्यायालय विचारण न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण अपने आदेश से खारिज कर दिया है। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी तस्दीक हो गया व रेस्पौडेन्ट ने उक्त नामान्तरकरण खारिज की अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त के यहां पेश करके स्थगन भी लाए है। इस तथ्य की जानकारी होने के बाद भी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 ने तथ्य को छुपा कर के गलत रूप से राजीनामा पेश कर दावा डिग्री करवा लिया। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि दावा में मुख्य विवाद वादीया चन्दा उर्फ चन्द्रावली के पिता के नाम का विवाद था अपीलान्ट ने एतराज लिया था कि चन्दा उर्फ चन्द्रावली झाबर की बेटी है इस तथ्य पर तनकी कायम होकर के निर्णय होना चाहिए था कि आया इस बिन्दु को सिविल न्यायालय तय करेगी या राजस्व न्यायालय इस बाबत विचारण न्यायालय ने गौर ना कर बाद वादी को डिक्री कर कानूनी गलती की है। वरवक्त बहस अपीलांट की ओर से फर्द के साथ फोटो प्रति जन आधार कार्ड चन्दा देवी, फोटो प्रति जन आधार रसीद, फोटोप्रति राशन कार्ड विवरण चन्दा देवी प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में उपस्थित पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी विचाराधीन निर्णय से डिक्री किया गया है। वादिया गोरूराम की पुत्री है। विरासतन उसका हक अधिकार है। वादिया की विरासत को अपीलांट द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर वादिया की वल्दीयत के संदर्भ में चाराजोही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मूल विवाद गोरूराम की विरासत को लेकर है। वादिया का कथन है कि वह गोरूराम की पुत्री है। इस हैसियत से वह विरासतन खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। इसके विपरित अपीलांट जो गोरूराम का पुत्र है का कथन है कि वादिया गोरूराम की पुत्री नहीं होकर झाबरराम की पुत्री है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 पन्ना की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया गया है कि वादिया चन्दा के पिता का नाम गोरूराम न होकर झाबरराम है व झाबरराम की पुत्री है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में इस जवाबदावे के उपरांत वादिया चन्दा ने ऐसा एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादिया गोरूराम की पुत्री होना साबित होता हो। विचारण न्यायालय ने जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय डिक्री जारी की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दौरान अपील अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस अपीलांट की ओर से फर्द के साथ फोटो प्रति जन आधार कार्ड चन्दा देवी, फोटो प्रति जन आधार रसीद, फोटोप्रति राशन कार्ड विवरण चन्दा देवी प्रस्तुत किये। इन दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया वादिया झाबरराम की पुत्री होना प्रकट होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मूल विवाद गोरूराम की वल्दियत को लेकर है। वल्दियत के संदर्भ में घोषणा/न्याय निर्णयन का अधिकार सिविल न्यायालय को है। दौराने अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या वादिया चन्दा झाबरराम की पुत्री होना प्रकट होता है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय साक्ष्य सुनवाई के उपरांत सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इस निर्णय से पूर्व राजस्व न्यायालय को गोरूराम की विरासत के आधार पर वादिया चन्दा देवी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर